

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-11/2017/एक-३

भोपाल दिनांक 08 नवम्बर, 2017

प्रति

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।

विषय :- 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों
की छानबीन कर समीक्षा।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-24/2000/3/1 दिनांक 22.08.2000.

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। जिसमें 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा
पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की समीक्षा करने के दिशा^१निर्देश जारी किये गये हैं।
मामलों की छानबीन करने हेतु कण्डिका-३ में समयावधि निर्धारित की गई है जिसमें प्रतिवर्ष 15
जनवरी और 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से छानबीन की कार्यवाही पूर्ण की जाना है तथा 5
फरवरी एवं 5 अगस्त तक इसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना सुनिश्चित किया गया
था।

2/ उक्त निर्देश के अनुपालन में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट कुछ विभागों से सामान्य प्रशासन
विभाग को प्राप्त नहीं हो रही है। शासन द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है अतः कृपया अपेक्षित
कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिनांक 31.12.2017 की स्थिति का प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में दिनांक
15.01.2018 तक सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

(सी.बी. पडवार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

हारि प्रोटन अधिकारी


पृष्ठांकन क्रमांक सी 3-11/2017/एक-3

भोपाल, दिनांक 08 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्डौर।
15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्डौर/ग्वालियर।
19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
21. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
22. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

विभाग / कार्यालय का नाम

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के मामलों में छानबीन समिति की कार्यवाही का छः माही प्रतिवेदन माह

सरल क्र०	विभाग का नाम	छानबीन समिति की बैठक का दिनांक	छानबीन किये गये अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या	आयोग्य पाये गये अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या							
1	2	3	प्रथम श्रेणी 4	द्वितीय श्रेणी 5	तृतीय श्रेणी 6	चतुर्थ श्रेणी 7	योग श्रेणी 8	प्रथम द्वितीय श्रेणी 9	तृतीय श्रेणी 10	चतुर्थ श्रेणी 11	12

Collected by
[Signature]